भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3625

(शुक्रवार, 16 मार्च, 2018/25 फाल्गुन, 1939 (शक) को दिया गया)

डीडीसीए में अनियमितताएं

3625. श्री राहुल शेवालेः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में वर्ष 2008 से दिल्ली जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के कार्यकरण में अनियमितताओं के मामले आए हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है या कोई जांच की जानी प्रस्तावित है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा उक्त शिकायतों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विधि और न्याय एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी)

(क) से (घ): सरकार को श्री कीर्ति आजाद, माननीय सांसद और श्री एन. सी. बक्शी तथा श्री दिनेश सैनी से दिल्ली जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के कार्यकरण में विभिन्न अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इन पर विचार करते हुए सरकार ने डीडीसीए के लेखाबही और अन्य कागजातों की कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(क) के अधीन दिनांक 28.09.2012 को जांच करने तथा बाद में 27.03.2015 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 206(5) के अधीन आगे जांच का आदेश दिया था। जांच रिपोर्ट में लेखांकन मानक- 5, 15, 18, 19, 22 और 29 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 36, 150, 166/210, 209(1), 209(3)(ख), अनुसूची-VI के साथ पठित धारा 211, 217(3), 285, 299, 303, 309, 314 और 211(3क)/(3ग) का उल्लंघन दर्शाया गया था। उपरोक्त सभी अपराध प्रशमनीय प्रकृति के थे और दोषी कंपनी तथा अधिकारियों ने तत्कालीन माननीय कंपनी विधि बोर्ड के समक्ष उक्त अपराधों का प्रशमन करा लिया है। साथ ही जांच रिपोर्ट में कंपनी के लेखापरीक्षकों के विरूद्ध उपर्युक्त अधिनियम की धारा 233 के साथ पठित धारा 227 के प्रावधानों की गैर-अनुपालना का उल्लेख किया गया था और लेखापरीक्षक के विरूद्ध अभियोजन दायर किए गए तथा भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान में एक शिकायत भी दर्ज की गई थी।

*****